मध्य प्रदेश में ज्यादतियों के सम्बन्ध में ज्ञापन

2169. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान मध्य प्रदेश के देवास, इन्दौर तथा अन्य स्थानों में की गई ज्यादतियों की जांच के सम्बन्ध में अनेक ज्ञापन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) (क) और (ख). आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में जनता से प्राप्त ज्ञापन की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि श्री जे० सी० शाह के अधीन जांच आयोग ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा भी शिकायतें आमन्त्रित की हैं।

सशस्त्र सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मार्शल ला लागू करने के बारे में भूतपूर्व प्रधान मंत्री की बातचीत

2170. **श्री धन्ना सिंह गुलशन :**
श्री आर० के० महालगी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने सशस्त्र सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों के साथ कोई ऐसा विचार विमर्श किया था कि फरवरी-मार्च, 1977 को लोकसभा चुनाव रद्द कर दिए जाने पर आपात स्थिति और मार्शल ला लागू कर दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Increase in Taxes, Rates by D.M.C., N.D.M.C. and D.E.S.U.

2171. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Delhi Municipal Corporation, NDMC and DESU increased the taxes, rates and amount of security during emergency;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether Government propose to reduce the taxes and rates?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). According to the information received from the Delhi Municipal Corporation, the Corporation increased the rates of taxes on animals and vehicles during 1976-77. These taxes were, however, reduced for the year 1977-78 to the level of 1975-76. The Corporation also revised the rates of general tax on property in urban area from the graduated rate slabs between 10 per cent and 30 per cent to 12½ per cent for residential buildings and 18 per cent for commercial and industrial buildings. Licence fee for trades/storage charges, rates of Chabutras and Colonade fee, composition fee, removal and storage charges etc. were also increased.

The Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking of the Delhi Municipal Corporation increased the rates for domestic supply of water with effect from 1-4-1976. The rates for commercial supply of water were also increased, but the rates of industrial supply of water were reduced. These rates were further rationalised w.e.f. 1-10-1976.